बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

का०आ०सं०–4/स्था० (अनुकम्पा)मु०–03–01/2017 /पटना, दिनांक 6/8/19

कार्यालय आदेश – 147

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/संलग्न कार्यालयों के सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के अश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक 30.07.2018 को सम्पन्न बैठक में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के भूतपूर्व स्व० सुरेश पासवान, प्रशाखा पदाधिकारी के तृतीय पुत्र श्री राहुल कुमार को सम्यक विचारोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यवाही ज्ञापांक– 10221 दिनांक 01.08.2018 के आलोक में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर समूह 'ग' ग्रेड वेतन रू० 1900/– (एक हजार नौ सौ) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किये जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–11462 दिनांक 24.08.2016 को दृष्टिगत् रखते हुए निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 1900/– (सप्तन वेतन पुनरीक्षण के आलोक में लेबल–2) में समय–समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य भत्ते एवं दिनांक–01.09.2005 से प्रभावी नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के साथ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त किया जाता है।

2) संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरूद्ध ही कार्यालय में श्री राहुल कुमार का योगदान स्वीकृत करेंगे एवं अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3) योगदान करते समय संबंधित कर्मचारी मृत सरकारी सेवक के परिवार का भरण पोषण करने संबंधी घोषण पत्र एवं सभी प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति समर्पित करेंगे।

4) श्री राहुल कुमार अपने वेतन से परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करेंगे। भविष्य में उनका या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भरन पोषण नहीं करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरान्त सही पाये जाने की स्थिति में श्री राहुल कुमार के वेतन से प्रत्येक माह नियमानुसार समुचित राशि की कटौती कर प्राप्त कराया जा सकेगा एवं नियुक्त कर्मचारी से कारण पृच्छा प्राप्त कर उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।

5) श्री राहुल कुमार योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र की दो सेट अभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में समर्पित करेंगे।

6) श्री राहुल कुमार संबंधित कार्यालय में स्वीकृत पद के विरूद्ध पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से योगदान करेंगे अन्यथा इनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी।

7) नियुक्त पद पर योगदान के साथ श्री राहुल कुमार विवाह में दहेज नहीं लेने अथवा देने से संबंधित घोषणा समर्पित करेंगे।

8) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त ।

06.08.19
(शैलेन्द्र नारायण मल्लिक)
सरकार के अवर सचिव (मु०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\SECTION-4\Uttam Kumar Chaurasia\Karyalay Adiesh.docx